संख्या-69/2023/I/320492/2023/001-71-2099-1150-2020

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौबे,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 मई, 2023

विषय:-हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के उपचार हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/81, दिनांक 12.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों के उपचार हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लेखाशीर्षक ''2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 03-शिक्षा-0319-हीमोफीलिया रोग की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-39-औषधि तथा रसायन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख तथा मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 10.00 लाख अर्थात कुल रू0 1510.00 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ दस लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि को बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
2. नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केन्द्रीयकृत पद्धति के आधार पर नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अन्य संस्थाओं को आवश्यकतानुसार औषधि एवं रसायन का वितरण किया जायेगा।
5. स्टेट नोडल अधिकारी, हीमोफीलिया, एस0जी0पी0जी0आई0/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा निर्गत धनराशि की उपयोगिता के दृष्टिगत लाभार्थियों की सूची दिनांक 30 जून, 2023 तक शासन को उपलबध करायी जायेगी।
6. वांछित औषधि/सामग्री के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट, मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. क्रय किये जाने वाले औषधियों/सामग्रियों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टताओं की जिम्मेदारी स्टेट नोडल अधिकारी, हीमोफीलिया, उ0प्र0 की होगी।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023 - 231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन किया जायेगा।
9. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिल पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 15,00,00,000 (रुपये पंद्रह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050319 हीमोफीलिया रोग की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा **मानक मद** 39 औषधि तथा रसायन (*2*) रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050319 हीमोफीलिया रोग की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा **मानक मद** 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-69/2023/।320492/2023/001-71-2099-1150-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।